सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )परावि/प्रशा.1/RRDS/अचल सम्पत्ति/2013/ 1678 जयपुर, दिनांकः- 22.8.19

मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त।

विषयः-अचल सम्पत्ति विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.2018 के द्वारा राज्य के समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2018 (01 जनवरी 2019 की स्थिति में) का अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक आवश्यक रूप से भरे जाने थे।

कार्मिक विभाग द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 24.07.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन राजपत्रित अधिकारियों ने वर्ष 2018 (01 जनवरी 2019 की स्थिति में) का अपना अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन नही भरा है। उन राजपत्रित अधिकारियों को अंतिम अवसर देते हुए राज-काज सॉफ्टवेयर पर अपना अचल सम्पत्ति विवरण (01 जनवरी 2019 की स्थिति में) ऑन लाईन भरने के सम्बन्ध में 31 अगस्त 2019 तक समय सीमा बढाई गई है। कार्मिक विभाग द्वारा अपने परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो राजपत्रित अधिकारी उक्त अंतिम अवधि तक अचल सम्पत्ति विवरण अपलोड नही करते है, उन राजपत्रित अधिकरियों को देय वार्षिक वेतन वद्धि, पदोन्नति विजीलेन्स क्लीयरेंस स्वीकृत नही की जावेगी एवं 31 अगस्त 2019 के पश्चात ऑफ लाईन अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।

अतः आप अपने अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को अपना अचल सम्पत्ति विवरण (01 जनवरी 2019 की स्थिति में) 31 अगस्त 2019 तक आवश्यक रूप से राज-काज सॉफ्टवेयर पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित करें।

(गौरव चतुर्वेदी)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपिः-ऐनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।

(गौरव चतुर्वेदी)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त